



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 223/2026

नरगिस

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : रमेश चंद्र पाल

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

कोर्ट नं. - 65

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी

1. आवेदक की ओर से आज दायर किए गए प्रत्युत्तर हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में सात अन्य आरोपियों के साथ है। एफ.आई.आर. के संस्करण के अनुसार और धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत सूचनाकर्ता/पीड़िता के बयान के अनुसार उस पर बलात्कार करने की विशिष्ट भूमिका सह-अभियुक्त, दिलशाद को सौंपी गई है, जबकि, आवेदक सहित एफ.आई.आर. में नामित अन्य आरोपियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पीड़िता पर हमला किया है। एक सह-अभियुक्त, नौशाद, जिसके खिलाफ बलात्कार का कोई आरोप नहीं है, जैसा कि वर्तमान आवेदक के खिलाफ भी लगाया गया है, को पहले ही जमानत पर बढ़ाया जा चुका है, इस प्रकार,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक को जमानत पर भी बढ़ाया जा सकता है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य प्रस्तुतियाँ भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी, ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर लागू करना उचित समझे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आवेदक 19.11.2025 से जेल में बंद है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन वह आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों का विरोध नहीं कर सका।

5. समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक- नरगिस को, भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1), 115(2), 351(2), 123, 76, 61(2) के तहत दर्ज केस क्राइम नंबर 340/2025, पुलिस थाना- टीलामोड़, जिला- गाजियाबाद में, एक निजी मुचलका भरने और उतनी ही राशि के दो स्थानीय जमानतदार पेश करने पर जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका आवेदक आरोपी है, या आयोग पर संदेह है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

6. ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त के चूक के मामले में, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी)

फ़रवरी 19, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"